इसकी परिणिति देश में लघु उद्योगों के जोरदार विकास के रूप में हुई है। नीतिगत समर्थन के उपायों के अलावा, राज्य व केन्द्र सरकारें दोनों ही देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा ढांचागत सुविधाओं के आवर्धन द्वारा प्रोत्साहित करती है।

(ख) से (घ) सरकार सीधे रूप से लघु उद्योग स्थापित नहीं करती। छोटे उद्यमियों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में छोटे एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम तथा नीतियों को तीव्र किया जाता है।

(ङ) छोटे औद्योगिक एककों को स्थापित करने, विशेषकर देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु अनेक योजनाएं प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. छोटे एककों के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के तौर पर संस्थागत वित्त उपलब्ध है।

2. 836 उत्पादों को अनन्य रूप से लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु सुरक्षित रखा गया है।

3. सरकारी खरीद कार्यक्रमों में लघु उद्योगों के उत्पादों की खरीद तथा मूल्य में वरीयता दी जाती है।

4. 3 करोड़ रुपये तक के कुल उत्पादन वाली सभी लघु इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क से छूट/ढील उपलब्ध है।

5. लघु एककों की एक निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध है।

6. एकीकृत ढांचागत विकास योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

7. प्रधान मंत्री रोजगार योजना एक लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली अति लघु तथा सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने में सहायता देना है। यह योजना सम्पूर्ण देश में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

8. लघु इकाइयों को अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, औजार कक्षों, उद्यमशीलता विकास संस्थानों आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण, कौशल विकास, अनुरक्षी सेवाएं आदि के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

CGHS Institutions in Kerala

1053. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no institutions of CGHS is functioning in Kerala;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to open any such hospital or office in Kerala?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. R. ANTULAY): (a) to (c). Yes, Sir. However, sanction for opening of CGHS Dispensaries at Thiruvanantpuram has been issued. It will take some time before the dispensaries start functioning there, due to location of suitable accommodation and appointment of staff etc.

Unlawful practice of foreign law press firms in India

1054. SHRI K. R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three foreign law firms are unlawfully practising law in India as reported in The Hindustan Times dated the 26th October, 1995; and

(b) if so, what action Government have taken or are contemplating to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir. However the Reserve Bank of India have informed